1977 Bhind District, M.P. Public meeting held on 21-9-1977 on harijan problems and problems of agricultural workers — Report by Mangal Singh

1977

मेहगांव समाचार.(भिण्ड)

मेहगांव (भिण्ड) ता० २१-९-७७ को मेहगांव में कम्युनिस्ट पार्टी खेतमजदूर सभा० किसान सभा और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में विशाल प्रदर्शन हुआ । किसान व मजदूर सैकड़ों की तादाद में लाल झण्डा लेकर आये थे । इस प्रदर्शन का नेतृत्व का० मंगलसिंह (प्रान्तीय कौंसिल सदस्य) का० [illegible] [illegible] [illegible] कर रहे थे । प्रदर्शन में किसान व खेत मजदूर नारे लगा रहे थे । "जनता सरकार [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] है" "हरिजनों पर अत्याचार बन्द करो" "[illegible] का [illegible] नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, [illegible] [illegible] को [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible]" । जुलूस बजार की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ कचहरी में जा के आम सभा में परिवर्तित होगया । डा० [illegible] की अध्यक्षता में सभा हुई जिसमें का० [illegible] [illegible] का० मंगलसिंह का० रामसिंह शर्मा का० कैलाशनाथ दुबे के भाषण हुए ।

का० [illegible] [illegible] ने विस्तार से बताया कि [illegible] [illegible] जनता को [illegible] [illegible] होगा । [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] का मुकाबला किया जा सकता है । का० मंगलसिंह ने कहा कि हरिजनों व खेत मजदूर [illegible] [illegible] कि [illegible] की जमीन पर कब्जा व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मुकाबिला [illegible] [illegible] [illegible] की किया जासकता है । सरकार ने लोगों के [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] करदी है [illegible] कि पुलिस प्रशासन [illegible] [illegible] हुआ है का० मंगलसिंह ने और [illegible] कहा कि हरिजन आदिवासी खेत मजदूर व अन्य वर्ग के [illegible] गरीब व [illegible] लोगों को [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] होकर [illegible] स्वयं रक्षा करें ।

[illegible] की [illegible] [illegible] के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी [illegible] में [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] का एक [illegible] [illegible] मेहगांव के [illegible] [illegible] किया गया ।

23/25/66

जिला मंत्री
अ० भा० किसान सभा, [illegible] भिण्ड

मँहगाई और हरिजनों व खेत मजदूरों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व खेत मजदूर तथा किसान सभा की ओर से पुरजोर तैयारियां विशाल प्रदर्शन और आम सभाओं का तांता

म० प्र० जिला भिण्ड में डा० मंगल सिंह मंत्री खेत मजदूर सभा जिला भिण्ड एवं सदस्य प्रान्तीय कौंसिल के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन व रैली व आम सभाओं का आयोजन चल रहा है। जिनमें गोहद, मौ, मेहगांव, भिण्ड, लहार आदि स्थानों पर सम्पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। स्थानों की तादाद में भारी हाथ का बटेया रहे हैं उन्हीं कार्य कर्ता प्रदर्शनों व आम सभाओं को कामयाब बनाने के प्रचार में लगे हुये हैं। क्यों कि मँहगाई और हरिजनों व खेत मजदूरों पर अत्याचार के विरोध में आम जनता में असंतोष व्याप्त है। खेत मजदूर और किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। इस समय भिण्ड जिले में हरिजन आदिवासी व गरीब जनता बढ़ने की कुरीतियों से मजबूर हो रही है क्यों कि सामन्ती तत्व और प्रति क्रियावादी ताकतें दिन प्रति दिन नये नये हथ कण्डे अपना कर हमला कर रही हैं। आवंटन में दी भूमि आदिवासी हरिजन व गांव के गरीब लोगों को पट्टे पर मिली थी उस पर सामन्ती तत्वों द्वारा लठ्ठ व बन्दूकें के बल पर कब्जा करने में लगे हुये हैं। कहीं कहीं ग्रामों में हरिजन आदिवासी व खेत मजदूर गोहद बगैर ही कर अपनी हकदारी अपनी जमीन को कब्जे रखने करने में सफल भी हुये हैं। लाल झण्डा के तमाम साथी इन गरीब खेत मजदूरों की हिम्मत बंधा कर ताकत पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। अपनी भूमि को बचाने के लिये हरिजन आदिवासी गरीब लोग पार्टी के झण्डे के नीचे मैदान में आ चुके हैं। हरिजन खेत मजदूर व सभी प्रकार के गांव के गरीब किसानों के लिये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लाल झण्डा ले कर पूर्ण सक्रीय हो रहीं। लेकिन स्थानीय दबंग अफसरशाही व पुलिस विभाग तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है उलटा सामन्ती तत्वों को सह दे रहा है। ऐसा पक्षपात में

डा० मंगलसिंह
जिला ...
म. प्र. किसान सभा

डा० मंगल सिंह भा०क०पार्टी सदस्य गोहद

श्रीमान् ~~[illegible]~~ का० पी० के० कोडियन
महामंत्री, अखिल भारतीय ~~[illegible]~~ खेत मजदूर सभा
अजय भवन नई दिल्ली

विषय :— ग्राम [illegible] के पुरा में हरिजनों को मार पीट कर उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने से रोकने बाबत।

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन प्रार्थिनी निम्न लिखित है :—

(१)- यह कि प्रार्थिनी ग्राम [illegible]पुरा की रहिवासी है और उक्त ग्राम में प्रार्थिनी अपनी भूमि में काश्त करती है। उक्त प्रार्थिनी की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक की भूमि से [illegible]सिंह, [illegible]सिंह, देवासिंह, रामस्वरूपसिंह, [illegible]सिंह, कोमलसिंह, [illegible]सिंह का कोई भी किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, इन लोगों के अत्याचार से पीड़ित अपना हक पाने से वंचित हैं। [illegible]सिंह के विरुद्ध थाने में कई रिपोर्ट हैं तथा आदतन अपराधी है। अपराधी [illegible]सिंह के पूर्व में पुलिस में इन कार्यों के लिए हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश भी दिये थे।

(२)- यह कि उक्त [illegible] व व्यक्ति दल की [illegible] के जोर ताकत में रिश्तेदार हैं और [illegible] हैं और वे ताकत के बल पर प्रार्थिनी के सार्वजनिक की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

(३)- यह कि प्रार्थिनी ने दिनांक [illegible]-१२-७७ को इन लोगों द्वारा प्रार्थिनी के खेतों पर जाकर [illegible] उक्त व्यक्तियों के [illegible] होकर झगड़ा करने की धमकियां दी [illegible] प्रार्थिनी ने डर के मारे [illegible] और प्रार्थिनी ने उक्त व्यक्तियों द्वारा झगड़ा करने की रिपोर्ट थाना पुलिस के लिखित दी थी, किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। और परिणामस्वरूप दिनांक २१-१२-७७ को [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]सिंह, रामस्वरूप, [illegible]सिंह, कोमलसिंह ने लाठी, फरसा, बरछी से

—२

हमला किया और रामेश्वरप्रसाद, बुद्धीलाल को प्राण घातक चोटें पहुंचाई। बुद्धीलाल का फर्सा लगने से घाव कट गया, दाहिने बुद्धीलाल के दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर से [illegible] हुआ है लगी। रामेश्वरप्रसाद के फर्सा सिर में लगा, जिससे सिर में ५-६ टांके आये। इन चोट प्राण घातक भी और भी शरीर में [illegible] पहुंचने की गंभीर चोटें आई हैं। किन्तु डाक्टर उक्त पुलिसथाने से मिल चुके हैं और इन्होंने उक्त दोनों घायल व्यक्तियों की चोटों का ठीक परीक्षण कर ठीक रिपोर्ट नहीं दी है। गंभीर और प्राण-घातक चोटों को साधारण बताया है।

(४)-उपरोक्त घटना के घटित होने के पश्चात उक्त सभी लोग गांव में हथियार लेकर गांव में आतंक फैलाते हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं कि यदि किसी ने गवाही दी तो जान से मार डालेंगे। इन लोगों के डर के कारण वास्तविक गवाह भी गवाही देने से चुप रहे हैं। इन लोगों की २० बीघा जमीन जोती हुई तथा खेत हरा हुआ तथा पानी लगा हुआ गांव पर और डेरा [illegible] पड़ा हुआ है। उक्त लोग कहते हैं कि यदि खेत जोते जावे तो जान से मार डालेंगे। और वास्तव में इन लोगों को डर है कि उक्त लोग खेतों पर गये तो उक्त लोग जान से मार देंगे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि इन लोगों की जान व माल की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थी,

दिनांक

रामेश्वरप्रसाद वल्द [illegible],

बुद्धीलाल वल्द [illegible] जाति [illegible]

हरिजन निवासी [illegible] थाना [illegible]

परगना [illegible] जिला भिण्ड (म०प्र०)

[illegible]

बुद्धीलाल

नारायण

निशान
रामस्वरूप

निशान
हरबलाल

सुलालराम

हरीबिलास

[illegible]

रघुबरदयाल

हरीविलास

रामदेव

नोट !- पार्टी द्वारा जॉच करने पर
प्रार्थियों का कथन सत्य है
उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०
ता० [illegible] 21-6-80

[illegible] मंगलसिंह
जिला मन्त्री
भा. प्र. किसान सभा शाखा भिण्ड
मु० गोहद

1977

2

श्रीमान् डा० पी०के० कोडियन

महामंत्री आल इंडिया खेत मजदूर सभा

नई दिल्ली,

विषय :- ग्राम पढ़ुरा (फिरोजाबाद) थाना नौलख के १० हरिजनों पर सवर्णों द्वारा आधुनिक ढंग से हमला करके घोर मार-पीट करना और हरिजनों के धान खेतों को बेकार बना देने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनयपूर्वक निम्न निवेदन प्रस्तुत है :-

(१)- यह कि प्रार्थीगण ग्राम पढ़ुरा(फिरोजाबाद) तहसील व थाना नौलख जिलाफिरोजाबाद के निवासी जाटव जाति के व्यक्ति हैं।

(२)- यह कि हमारे ही ग्राम के सामन्ती प्रवृत्ति वाले लोगों ने ठाकुर जाति के लोगों को भड़काकर हम हरिजनों को ग्राम में घेर कर आधुनिक ढंग से हमला करके हम हरिजन व्यक्तियों को घोर चोटें पहुँचाईं हैं जिसका विवरण निम्न है :-

(३)- यह कि दिनांक ६-८-७७ के सुबह ८ बजे की घटना है कि प्रार्थीगण अपने खेतों पर कृषि कार्य में लगे हुए थे कि रघुनाथ, [illegible], [illegible], मुन्ना, [illegible], विश्वनाथ, [illegible], [illegible], रामस्वरूप, पुत्र [illegible], [illegible], [illegible], रामसिंह, रामस्वरूप [illegible], [illegible] रणवीर आदि जाति के ठाकुर व [illegible] कुम्हार ग्राम पढ़ुरा कुल ११ आदमी लाठी फरसे व बल्लम से लैस होकर आधुनिक ढंग से मारने की नियत से हमारे खेतों पर आये व [illegible] [illegible] आदमी होकर [illegible] [illegible] बनाकर प्रार्थीगण के खेतों पर पहुँचे और एक-एक करके

—2

उन लोगों पर हमला बोल दिया और उन हरिजनों को बेरहम ढंग से लाठी फरसों व कुल्हाड़ी से मार-पीट की व जाते समय कि हाथों को साथ ले भी गये हालांकि किन्हा नहीं छोड़ा। । रामस्वरूप के हथियारों की चोटों से बांया का हाथ फरसे की चोट से टूट गया है और सिर फट गया है। व शरीर में लाठी की कई चोटें आई हैं। रामशरण का भी बांया हाथ फरसे की चोट से टूट गया है और सिर की चोटें भी फरसे से आई हैं व शरीर में कई चोटें लाठी से आई हैं। बाबू के सिर में फरसे से गंभीर चोट आई है फ्रेक्चर गया है व पैरों में लाठियों की चोटें आई हैं हड्डी टूट जाने पर भी पैर की चोट का एक्सरे पीलीभीत के डाक्टर ने नहीं किया है पुलिस के दबाव व सिर में लाठी व फरसों की गंभीर चोटें आई हैं रोशन के दोनों हाथों की उंगलियां लाठी फरसों की चोट से टूट गई हैं किन्तु पीलीभीत के डाक्टर ने उनकी चोट का एक्सरा भी नहीं किया है तथा लाठी की चोटें दिखाकर मामला हल्का बना देने की साजिश की है। नत्थू, छेदा, रामस्वरूप, व मोहन के लाठियों की कुछ मामूली चोटें शरीर पर आई हैं।

(ख)- यह कि उन लोगों ने उक्त घटना की व रिपोर्ट थाना पीलीभीत में दर्ज की है पुलिस मौके पर ने उन सब लोगों की जांच हेतु व अस्पताल पीलीभीत में भेजा। लेकिन डाक्टर साहब ने फरसों की चोटों को नहीं लिखा। लाठी की चोटें बताकर मामला हल्का बना दिया है तथा हड्डी टूट जाने के पूरे एक्सरे नहीं लिये हैं। बेटारे के बायें हाथ की चोट जहां हड्डी टूट गई है उसका एक्सरे नहीं लिया है इस प्रकार उन हरिजनों पर नाजायज और बे अत्याचार किया गया है व भविष्य में भी हमला किये जाने की संभावना है।

-(३)-

अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थियों पर तारीख १८ जनवरी ने [illegible] मार-पीटकरके हमारे शरीरों को बेकार बना दिया है उस बाबत न्यायोचित कार्यवाही की जाकर अपराधियों को उचित दण्ड दिलाये जाने की कृपा की जावे तथा हमारे शरीर पर आई चोटों की मुआयना सिविल अस्पताल में पुनः कराये जाने का आदेश दिया जावे । क्यों कि गोहद के डाक्टर ने हमों की चोटों को छोटी की चोटें लिखकर मामला हल्का बना देने की कोशिश की है भैरो के बायें हाथ की चोट व बाबु के पैर की चोट को न तो लिखा है न एक्सरे लिये हैं एक्सरे कराया जावे । तथा हमारे ऊपर जो केस पुलिस गोहद ने बनाया था [illegible] है उन्हें खत्म कराया जावे क्यों कि हम प्रार्थी बेकसूर रहे हैं ।

दिनांक ।१०।७७

प्रार्थीगण,

१- पंचम पुत्र [illegible] — नि० अं० पंचम
२- सीताराम पुत्र [illegible] — सीताराम
३- [illegible] पुत्र [illegible] — नोट :- श्रीमत के दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा होने से दस्तखत एवं अंगूठा करने में असमर्थ है।
४- दुर्जन पुत्र [illegible] — दुर्जन
५- बाबूलाल पुत्र [illegible] । — नि० अं० बाबूलाल
६- भैरो वल्द [illegible] । — नि० अं० भैरो
७- महेन्द्र वल्द [illegible] — महेन्द्रसिंह
८- रघुवर पुत्र [illegible] — रघुवर
९- रामस्वरूप पुत्र [illegible] — रामस्वरूप
१०-[illegible] पुत्र [illegible] — नि० अं० [illegible]

व [illegible] (हरिजन) निवासी [illegible]
([illegible] व [illegible])